न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 48/2013/75 एलआर एक्ट

1. महावीर पुत्र लालचन्द जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4 गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 4 गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भूपसिंह पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 4 गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. लूणा राम पुत्र सरदारा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 4 गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. भादर राम पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 4 गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. ग्राम पंचायत ढ़ण्ढ़ेला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ण्ढ़ेला तहसील नोहर।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ण्ढ़ेला जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ण्ढ़ेला तहसील नोहर।

––रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 10.12.2010 मिसल नं. 27/2010 प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि.ढण्ढेला बाबत विद्यालय भूमि का पट्टा जारी करने, राजस्व शिविर

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–24.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि राजस्व शिविर 2010 मे दिनांक 09.12.2010 को प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 ढण्ढेला द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गांव ढण्ढेला मे वार्ड नं. 1 मे विद्यालय 100गुणा110 फुट की जगह पर बना हुआ है जो ढण्ढेला के खसरा नं. 170 मे स्थित है, का पट्टा जारी किया जावें। पंचायत ने भी अपने प्रस्ताव मे विद्यालय भवन जिस जगह बना है, उसका पट्टा जारी करने का निवेदन किया। तहसीलदार व पटवारी द्वारा स्वतः ही खसरा नं. 170 की 1.555 है0 भूमि मे से 0.809 है0 को आवंटन प्रस्ताव बना कर भिजवा दिया व उपखण्डाधिकारी नोहर ने उसे अपने आदेश व निर्णय दिनांक

10.12.10 द्वारा स्वीकार कर लिया गया जबकि खसरा नं. 170 की 100गुणा110 फुट जगह मे स्कूल व शेष पर आबादी बसी है जो ग्राम पंचायत ढण्ढेला के वार्ड नं. 4 व 1 है। उक्त आबादी आज से 25 साल पूर्व बसी हुई थी जब स्कूल भी नही था, उक्त आदेश व निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, तथ्यो व रिकार्ड के विपरीत होने से खारिज योग्य है। ग्राम ढण्ढेला के खसरा नं. 170 मे 1.555 है0 आराजी राज भूमि है जिसमे लगभग 25 सालो से गांव की आबादी आबाद है। पंचायत के वार्ड नं. 1 व 4 बने है जहां निवासियों के परिचय पत्र व राशन कार्ड बने हुए है। खसरा नं. 170 मे खसरा के संकडो पासे यानि पश्चिमी तरफ 100 गुणा110 फुट मे विद्यालय बना हुआ है शेष पर आबादी आबाद है। उक्त खसरा नं. समेत को आबादी भूमि मे शामिल करते हुए खसरा नं. 170, 173, 460/331, 465/334, 477, 167 की कुल 8.915 है0 भूमि को आबादी भूमि शामिल करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.05.08 को प्रस्ताव पारित कर दी गयी। उक्त रकबा आबादी विस्तार हेतु स्वीकृत किया गया जिसकी कीमत ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा 1,32,000/— रू0 जरिये चालान सं. 1178 दिनांक 24.03.08, 8299 दिनांक 22.08.08 को जमा करवाये गये। उक्त मामला मे पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा पूर्ण कार्यवाही को छुपाया गया है जब पूर्व मे उक्त खसरा नं. 170/1.555 की आबादी विस्तार कीमत जमा करवायी जा चुकी है तो उक्त आदेश स्वतः ही रिकार्ड विरूद्ध हो जाता है।

4. पटवारी द्वारा मौका पर आबादी बसी होने के तथ्य को छुपाते हुए खसरा नं. 170 की 0.809 है0 आवंटन योग्य बतायी जबकि आवंटन करवाने का कोई प्रार्थना पत्र था ही नही मात्र पट्टा जारी ही चाहा था। आवंटन करने से पूर्व काबिज लोगो को सुनवाई का कोई अवसर ही नही दिया गया जबकि प्रभावित पक्षकार को सुनना कानून आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट यह अपील बतौर पक्षकार पेश की है, अपीलांट

अपीलाधीन आदेश मे पक्षकार नही था। जिस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नही था। इसलिए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर ज्ञान के अभाव मे अन्दर मियाद मानी जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार अपील प्रस्तुति की स्वीकृत की जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि मुताबिक रिकार्ड रा0प्रा0वि0 ढण्ढेला के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। ग्राम ढण्ढेला के खसरा नं. 170 (रकबाराज) की 0.809 है0 भूमि पर मौके पर विद्यालय भवन बना है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूला, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे के सरकारी कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963) के प्रावधानो व राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र एफ–14 (1) राज–06/2005 पार्ट जयपुर दिनांक 30.11.10 व राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) कोलो/2010/जयपुर दिनांक 13.05.2010 के अनुसरण मे ग्राम ढण्ढेला बारानी के खसरा नं. 170 की 0.809 है0 बारानी भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढण्ढेला को अपीलाधीन आदेश के जरिये निःशुल्का आवंटित की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व शिविर मे प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 ढण्ढेला द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विद्यालय भूमि यानि 100गुणा110 फुट अर्थात 11,000 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोहर के जांच प्रतिवेदन आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम ढण्ढेला के खसरा नं. 170 की 0.809 है0 भूमि आवंटित कर दी गई जबकि उक्त प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 ढण्ढेला द्वारा विद्यालय भूमि यानि 100गुणा110 फुट भूमि का पट्टा जारी का अनुतोष चाहा गया था। अपीलांट के कथनानुसार एवं ग्राम

पंचायत प्रमाण पत्र के अनुसार खसरा नं. 170 आबादी भूमि है जिसमे पुरानी आबादी बसी हुई है तथा वार्ड नं. 2 मे रा0प्रा0वि0 भवन बना हुआ है। इसमे मात्र विद्यालय भवन की 100गुणा110 यानि 11,000 वर्गफुट भूमि का पटटा की मांग की गई थी इसके विपरीत 0.809 है0 भूमि आवंटित कर दी गई जिसमे पंचायत को आपत्ति है क्योंकि श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत ढण्ढेला तहसील नोहर खसरा नं. 170 की 0.746, 173 की 0.509, 167 की 2.428, 451/177 की 4.804, 460/331 की 0.038, 465/334 की 0. 380 कुल 8.915 है0 भूमि पर आबादी बसी होने के कारण उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारो को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर दिये तथा बिना आवंटन की मांग किये मौके पर बने विद्यालय की भूमि से अधिक भूमि आवंटित कर दी गई जबकि प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 ढण्ढेला द्वारा विद्यालय भूमि यानि 100गुणा110 यानि 11,000 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की गई थी। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 10.12.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका की विस्तृत जांच रिपोर्ट एवं रिकार्ड के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ